

उत्तर प्रदेश शासन  
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग  
संख्या-36/2020/1532/अट्ठासी-20-07औ./18टी.सी.(ग)  
लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 2020

**कार्यालय-ज्ञाप**

'उ0प्र0 फार्मास्युटिकल उद्योग नीति, 2018' (यथासंशोधित) के प्रस्तर-13.2 के अन्तर्गत/प्रयोजनार्थ 'नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू)' का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

क्र.	पदनाम	पदाधिकारी
1.	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य सचिव
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य

2- उक्तानुसार गठित 'नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू)' में यथावश्यकता विशेष आमंत्रित सदस्य नामित करने हेतु उक्त पीआईयू के अध्यक्ष/प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन सक्षम होंगे।

अनीता सिंह  
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 36/2020/1532(1)/अटठासी-20, तद्धिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 3- 'नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू)' के समस्त पदाधिकारी।
- 4- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, उ०प्र०।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
रेणु तिवारी  
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।